दूरा, मोटाला , अवारपुर, तलोदा, सिदखेड, क्यूपम, कुनडेम, कुरचोरम, कोरजिम, घोपड़ा रवेर, पचोरा, चांदगढ़, जोसा, निलगां, बूटीचोरी, सतना, गंगाखेड, जुन्नार, राजगुरू नगर, महाद, मालगांव, कोरेगांव, खंडाला, करमाला, सनगोला, नलसोपरा, डरवाह, डिगरस

उत्तर-पूर्व

अरुणाकल प्रदेश : नफरा, नाचो, लौंगडिंग, मिश्राव, चोवकहम, नमसई ।

मणिपुर : काकचिंग, कांगपोकपी, तडुबी, जिरीजम, तेंवानोपाल, बांगोई मयांग, इम्फाल ।

मेघालय : मैरंग, मजकोरवाट मेंडीपत्थर, अमलारेम, अमपट्टी, डेडनगिरि ।

मिजोरम : लांवगथलई

नागालैंड : फगोवोटो, तस्केमनयू, अगहनतो, फूतमीरो, मेलरी, लेखफिरी, चांगटोगया, चुचइमलांग अलीचेन, चुकुडिमा, इमपुर, अकुलातो, लोंगखिम, मताखा, तिजिट, नागिनीमारा, सोंग कोलमवा जलुकी।

त्रिपुरा : धर्मनगर, महारानी, अमवास्सा, सलेमा, सनतोर, बाजार, पानीसागर, विश्रामगंज, अमताली, अमरपुर, जोलईवाडी, चौरायवाडी ।

पंजाब : मुक्तसर, कोटकपुरा, बगापुरन्ना, मोरिनदा, साहकोट, दोराहा, मंडी, गोबिंद गढ़, बोना नगर, अहमदगढ़, जौतू, गिड्डर, साहा, तलवाड़ा, अदमपुर दोआबा, बांगा, भोगपुर, भुल्लनपुर, लोहारगा सूनम, फूलमंडी, समाना, नकोदर, मलेर कोटला, बरनाला, बुधलादा,

उत्तर प्रदेश : सिरसू, मनझानपुर, लालगंज, मौरनीपुर, बिलासपुर, नगीना, चांदपुर, जलेसर, हाता, बिधना, जमनिया, कोलनगंज, तुलसीपुर, लक्सर, मछलीशहर, मोथ, अकबरपुर, बुढाना, सितार गंज, पट्टी, महाराजगंज, सलोन, दुमरियगंज, सिधौली, लहरपुर, फतुहपुर, हरिया, सिम्भाना, रुद्रपुर, बीडापुर, मोहम्मदाबाद, अतरौला, बिलग्राम, मरिहान, घाटमपुर, डेरापुर, तलबैहटा, केरहल, मऊ, मोहम्मदाबाद, तिलोई, दलमऊ, नकुर, बेहट, जलालाबाद, चुनार, हसनगंज, चकिया नवाबगंज, लालगंज,

कर्नाटक : केन्द्रों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

राजस्थान : चाकसू, मलनड़ा, किशनगंज, मंगरोल शाहबाद, छिपाबरोड, छाबरा, नगर, पहाड़ी, बसेरी, राज खेड़ा, अकलेरा, गंगधारा, खानपुर, पिरवा, अतरू, दिगोड, रामगंज मणी, सनगोड, बोनली, हिंडोन, टोडाभीम, दातारामगढ़, फतेहपुर, लुनकरनसर, शिव बलोतरा, डेओडबाना, ख्याल, प्रबाटोमार, अनूपगढ़, भद्रा, करनपुर, नोहर, पदमपुर, पीलीबंगा, रायसिंहनगर, रावतसर, सादुलशहर, संगरिया, श्रीविजय नगर, टिब्बी, घड़साणा, राजगढ़ (सादुलशहर), सरदार शहर, सुजानगढ़, तारानगर, केकड़ी, सरवार, कैशी, घटोल, अंसिद, बनेरा, झाजपुर कोटरी, मंडलगढ़, मंडल, शाहपुर (भीलवाड़ा), बड़ी सदरी, बेगुन, मडेसर, छोटी, सदरी डूंगला, केंगरार, नीमबहेड़ा, प्रतापगढ़, रसद, अरनोद, अमेट, भीम, देवगढ़, रेलमगरा, धारियावाद, खेरवाड़ा, कोटरा, मौली, सरादो, बल्लभनगर, रानीवाड़ा, सनचोर, जैतरन, खेरली, मुकंदगढ़, मकराना, केसरी सिंहपुर, सरिसका, देवांनोक, दिग्गी, कैलादेवी, रामदेवरा ।

डाक कर्मचारियों की मांगें

2516. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा न करने की स्थिति में और हड़ताली कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त न करने की स्थिति में कोई स्वस्थ "वैकल्पिक व्यवस्था" करने जा रही है;

(ख) क्या सरकार डाक विभाग में नई नियुक्तियों पर 1984 से लगी रोक को हटाना अभी भी उचित नहीं समझती है;

(ग) क्या इस विभाग में कई वर्षों से सेवारत कर्मचारियों को पूर्णकालिक और स्थायी न बनाने का सरकारी रवैया उनके कल्याण की उपेक्षा नहीं है;

(घ) क्या सरकार गैर-कानूनी हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में विलम्ब किये जाने के लिए जिम्मेदार है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस समस्या को समय पर हल करने और इस डाक-हड़ताल के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए कब तक रचनात्मक कदम उठायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुखराम) : (क) डाक कर्मचारियों तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की हड़ताल दिनांक 10-12-93 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो गई थी।

(ख) सक्षम सरकारी प्राधिकरण की सहमति से समय-समय पर औचित्यपूर्ण प्रचालन पद; सृजित किए जाते हैं तथा नई नियुक्तियां की जाती हैं।

(ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के केवल अंशकालिक एजेंट हैं तथा वे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं जहां डाक-परिघात की न्यूनता और नियमित डाकघर पर अधिक लागत आने के कारण नियमित विभागीय डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता। उनके पास जीविकोपार्जन के कुछ स्वतंत्र साधन भी होते हैं। चूंकि, वे विभाग के केवल अंशकालिक एजेंट होते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले डाककार्य, अपेक्षाकृत साधारण प्रकृति के होते हैं, अतः उनके और नियमित विभागीय कार्यचारियों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, उनके लिए ग्रुप "डी" के शत-प्रतिशत पद तथा पोस्टमैन संवर्ग के 50 प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं। पोस्टमैन संवर्ग के शेष 50 प्रतिशत पद केवल ग्रुप "डी" कर्मचारियों द्वारा भरे जाते हैं, अतः ये पद भी अन्ततोगत्वा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को ही मिलते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं :

2517. श्रीमती सुषमा स्वराज :

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 नवम्बर, 1993 के "इकोनॉमिक टाइम्स" में "रूरल टेलीकॉम फाइनेन्शियली वॉयबल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणाली अलाभकारी नहीं है,

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा का विस्तार करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किये थे और उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रतिशत कितना है, और

(ङ) अगले तीन वर्षों के दौरान देश के कुल ग्रामीण क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करा दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुखराम) (क) जी हां।

(ख) इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणालियां अधिकांशतः लाभप्रद नहीं हैं।

(ग) समाचार में उल्लिखित रिपोर्ट अभी विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(घ)

1991-92		1992-93	
लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
गांवों की संख्या		गांवों की संख्या	
20,000	109%	36,500	82%

(ङ) आगामी तीन वर्षों के दौरान देश के लगभग 40% ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है और सन् 2000 तक सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है।